

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद बिजनौर में फायर सर्विस की यूनिटों द्वारा व नगरपालिका के सहयोग से हॉटस्पॉटो व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया। उक्त कार्य में चार फायर टेंडरो व एक वॉटर मिस्ट का प्रयोग किया गया। जिनका विवरण निम्न है।-

- 1- ग्राम हसुपुरा तहसील चांदपुर (हॉटस्पॉट)
- 2-मोहल्ला रामनगर कस्बा नूरपुर तहसील चांदपुर
- 3-रोडवेज बस स्टैंड नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद
- 4-रेलवे स्टेशन चौराहा नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद
- 5-मोहल्ला काजीपडा से राम के चौराहे तक स्थानीय मार्केट बिजनौर तहसील बिजनौर
- 6-कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर तहसील बिजनौर
- 7-मोहल्ला अफगनान धामपुर तहसील धामपुर (हॉटस्पॉट)
- 8-इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप धामपुर तहसील धामपुर
- 9-एसबीआई बैंक नगीना तहसील नगीना हॉटस्पॉट
- 10-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना तहसील नगीना





थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 504 / 20 धारा 295 ए /153 बी आईपीसी व 67 आईटी एक्ट में अभियुक्त अजीम अख्तर उर्फ अजीम चौधरी पुत्र परवेज अख्तर निवासी मोहल्ला हयातनगर कस्बा स्योहारा हाल पता आर 281 जोगाबाई एक्टिवेशन जामिया नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी ओखला नई दिल्ली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- उपेंद्र कुमार पुत्र निहाल सिंह 2- संजीव कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम बेर खेड़ा टांडा थाना स्योहारा 3- नरेंद्र कुमार पुत्र सुभाष सिंह 4- सोमवीर सिंह पुत्र सुभाष सिंह निवासीगण ग्राम जमापुर थाना स्योहारा 5- अबुल पुत्र जाकिर निवासी ग्राम किवाड़ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नगीना:- थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र राजेंद्र पाल सिंह निवासी मोहल्ला कलालन कस्बा व थाना नगीना को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त संजय कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 463/2020 धारा 8 /20 ndps act पंजीकृत किया गया व अभियुक्त साजिद पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला जति थाना नगीना को मुकदमा अपराध संख्या 455/20 धारा 147/323/427/504/506 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र जमील उर्फ कलुआ निवासी मोहल्ला खालिद नगर कस्बा व थाना स्योहारा जिला बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया । जिसके सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0सं0 506/20 धारा 60(1) एक्साइज एक्ट पंजीकृत किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 658/2020 धारा 376/506/120 बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त मनोज पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम गोकलपुर कासम उर्फ पेदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगणों को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

